



2026:AHC:21727

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या – 7359 सन् 2024

विवेक कुमार त्रिपाठी और 171 अन्ययाचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्यउत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता : शैलजा कांत त्रिपाठी

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री एस.के. त्रिपाठी और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. श्री एस.के. पाल, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय में बयान दिया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हैं और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं और वे कोई शपथपत्र दायर नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से, याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 2015 बैच के आरक्षी के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद 2.12.2015 को गोरखपुर जिले में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए याचिकाकर्ताओं को मत्थापन प्रमाण पत्र जारी किए गए। सभी याचिकाकर्ताओं ने 2.12.2015 को पुलिस लाइंस, गोरखपुर में संयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (जेटीसी) के लिए रिपोर्ट किया। याचिकाकर्ताओं ने 2.12.2015 से 28.12.2015 तक अपना जेटीसी (संयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) पूरा किया और याचिकाकर्ता संख्या 1 से 169 जो पुरुष आरक्षी हैं, उन्हें पुलिस लाइंस, देवरिया भेजा गया और याचिकाकर्ता संख्या 169 से 172 महिला उम्मीदवारों को 28.12.2015 को पुलिस लाइंस, शाहजहांपुर में रिजर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (आरटीसी) के लिए भेजा गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, गोरखपुर पुलिस लाइंस में रिपोर्ट करने के बाद, याचिकाकर्ता ने 2 दिसंबर 2015 को 3,000 रुपये की अग्रिम फीस जमा की और याचिकाकर्ता संख्या 69 ने भाई की शादी के लिए एक दिन की छुट्टी ली जबकि याचिकाकर्ता ने 2 दिसंबर 2015 को गोरखपुर पुलिस लाइंस में जेटीसी (संयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) के लिए रिपोर्ट किया था। गोरखपुर पुलिस लाइंस

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के आरक्षण निरीक्षक ने याचिकाकर्ता की रिपोर्ट 28 दिसंबर 2015 को सामान्य विवरण (जीडी) और हिंदू अगस्त पुस्तिका में अभिलिखित की।

4. इससे असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने 28 दिसंबर 2015 के बजाय 2 दिसंबर 2015 से अपने प्रशिक्षण पर विचार करने और 2 दिसंबर 2015 से 27 दिसंबर 2015 तक की अवधि के लिए वेतन/मजदूरी के भुगतान के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावेदन पर, एक जांच कराई गई और 24.04.2023 को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

5. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि तीसरे उत्तरदाता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्देश दिया जाए कि वे पांचवें उत्तरदाता, पुलिस अधीक्षक, दक्षिण, गोरखपुर की दिनांक 24.04.2023 की रिपोर्ट के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं के जेटीसी (संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम) की तिथि 28.12.2015 के बजाय 02.12.2015 मानें।

6. माननीय अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रथम बार तृतीय उत्तरदाता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), डी.जी.पी. मुख्यालय, पुलिस भवन, शहीद पथ, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निवेदन पर विचार करते हुए और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस मामले का निर्णय प्रथम बार तृतीय उत्तरदाता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), डी.जी.पी. मुख्यालय, पुलिस भवन, शहीद पथ, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाना आवश्यक है। अतः, याचिकाकर्ता तीसरे उत्तरदाता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), डी.जी.पी. मुख्यालय, पुलिस भवन, शहीद पथ, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से 20.02.2026 तक व्यापक अभ्यावेदन, रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और उस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर सकता है, जिसके आधार पर तीसरे उत्तरदाता को 24.04.2023 की रिपोर्ट के आलोक में याचिकाकर्ता के दावे पर दो महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति, विकास

बुधवार)

30 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"